रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1995/पौष 23, 1916
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1995/PAUSA 23, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

का.आ. 37 (अ):—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (य ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (ii) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद पूना को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई (जिसे इसके पश्चात् "सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में एतद्द्वारा 13 जनवरी, 1995 को बैंक का कारोबार बन्द होने से लेकर 13 जुलाई, 1995 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाइयों को शुरू किया जाना अथवा इसकी सभी कार्रवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100 रुपये से अनधिक की राशि,

बशर्ते कि अदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 100/—रुपए से अधिक न हो,

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी ड्राफ्ट या भुगतान आर्डर अथवा चैकों की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा अधिस्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है ।],

(3) 13 जनवरी, 1995 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि, चाहे वह उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हो ।

(4) ऐसा कोई व्यय, जो सहकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमें, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गई डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो,

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/–रुपए से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी ।

(5) ऐसा कोई व्यय, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो,

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेंडर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेंडर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा जहां उस अवधि के दौरान उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और ऐसे पद पर किया जाने वाला व्यय 250/–रुपये से बढ़ जाए, तो व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी ।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान :—

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां कर सकेगा, अर्थात् ऐसी राशियां, जो सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले-महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्ही सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को दिए गए ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हों ।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी ।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नही होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा ऐसे किसी अन्य बैंक को इस सम्बंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है ।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा, यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा ऐसी हुंडियों में उसका कोई हित न हो ।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों को, जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकदी ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामलों में छोड़ अथवा दे सकेगा :—

(1) किसी ऐसे मामले में, जहां यथास्थिति ऋणकर्ता या ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम, जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किए बिना ।

[सं. 10(9)/94-वित्तास]

पी.के. सेजयान, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1995

S.O. 37(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (zb) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Poona Co-operative Bank Ltd., Bombay (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 13th January 1995 upto and inclusive of the 13th July, 1995 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium ,subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advances, alienate or dispose of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 100.

Provided that the sum total of the amount paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100.

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amount of bills received for collection on or before the 13th January, 1995 whether realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realising any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calender month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calender months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank.

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or District Central Co-operative Bank Ltd. or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into forcet

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

(c) may return any bills which has remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft in the manner and to the extent,—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities beow the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(9)|94-DEV]

P. K. TEJYAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064